


## प्रमाण-पत्र

पत्रांक 52/1 सी (कैम्प II)

दिनांक 05/10/2020

प्रमाणित किया जाता है कि सिद्धार्थ मॉडर्न स्कूल, ग्राम जाटोवाला दिल्ली यमनौत्री राज्य मार्ग-57 किमी 0 192, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 01-10-2020 को किया गया। विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि०वि०  
सहारनपुर  
05/10/20



# विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

## (क) सेकण्ड्री विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-10)


पत्रांक 52/सी (सुरक्षा) दिनांक 05/10/20 का संलग्न  
सिद्धार्थ मोडर्न स्कूल,

ग्राम जाटोवाला दिल्ली यमनौत्री राज्य मार्ग-57 किमी0 192, सहारनपुर

| क्र० सं० | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु  | निरीक्षण आख्या      |
|----------|---|---------------------|
|          | <b>भवन की चेक लिस्ट</b>   |                     |
| 1        | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?  | हाँ                 |
| 2        | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?                                    | हाँ                 |
| 3        | क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?   | हाँ                 |
| 4        | क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?   | हाँ (14380 वर्गमी०) |
| 5        | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?  | हाँ                 |
| 6        | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?                                     | हाँ                 |
| 7        | क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?   | नहीं                |
| 8        | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी? | हाँ                 |
| 9        | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी हैं?   | हाँ                 |
| 10       | क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?   | नहीं                |
| 11       | क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?                         | हाँ                 |
| 12       | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?                 | हाँ                 |
| 13       | क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?                                   | हाँ                 |
| 14       | क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?   | हाँ                 |
| 15       | क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?                                      | हाँ                 |
| 16       | क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है? | हाँ                 |
| 17       | क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?   | हाँ                 |
| 18       | क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?   | हाँ                 |

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
सहारनपुर  
05/10/20

|    |  |      |
|----|--|------|
| 19 | क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?   | नहीं |
| 20 | क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?                            | नहीं |
| 21 | क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?            | नहीं |
| 22 | क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?   | हाँ  |
| 23 | क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?                         | हाँ  |
| 24 | क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं? | हाँ  |
| 25 | क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं                         | हाँ  |

  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
 सहरनपुर  
 05/11/20